न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 35 / 2018

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 कौशल्या पुत्री हब्बु उर्फ विजय सिंह जाति जाट निवासी ढ़ाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 कृष्ण कुमार पुत्र स्व. रामस्वरूप उम्र 38 वर्ष जाति जाट निवासी ढ़ाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

2 राजकुमार पुत्र स्व. रामस्वरूप उम्र 35 वर्ष जाति जाट निवासी ढ़ाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अ0धारा 225 श0का. अधिनियम विरूद्व निर्णय दिनांक 27.02.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना उनवानी कृष्ण कुमार वगैरह बनाम कौशल्या प्रार्थना पत्र अस्थायीनिषेधाज्ञा मु.नं.17 / 18

Lavo

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

उपस्थित

1. श्री हरिप्रसाद सैनी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय सिंह चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–25.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 17/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट ने अपीलांट के विरूद्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया कि गत खसरा नम्बर 279 हाल खसरा नम्बर 471 के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है प्रर्थीगण का रकबा 0.10 हैक्टेयर कम दर्ज किया गया है जो 0.10 हैक्टेयर अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 472 में बढ़ा दिया गया है। अप्रार्थी दर्ज रिकार्ड के आधार पर बढ़े हुये रकबे को पक्की दिवार का निर्माण कर कब्जा करने पर आमद है अत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को रिकार्ड दुरूस्त होने तक खसरा नम्बर 471,472 में पक्का निर्माण न करने के लिए पाबंध किया जायें। अप्रार्थीया ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों से इनकार किया एवं कथन किया कि नक्शा भू–प्रबंध अधिकारी बीकानेर जवाब के संलग्न पेश है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 471 आम सड़क खसरा नम्बर 215 के उतर एवं दक्षिण में है संलग्न नक्शे से स्पष्ट है कि प्रार्थी का रकबा सड़क में गया है अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 472

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

पृथक है जिसका सीमाज्ञान 22.12.2017 को करवाया गया है जिसकी फोटो प्रति जवाब के संलग्न है अप्रार्थीया की हाल खसरा नम्बर 472 का रकबा एवं नक्शा सही है प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में है अत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये एवं काउन्टर टी आई स्वीकार कर प्रार्थीगण को पाबंध किया जाये। विचारण न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर विचाराधीन निर्णय से प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट पर विचार किये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गोर नही किया है कि रेस्पोडेंटस की भूमि खसरा नम्बर 471 आम सड़क खसरा नम्बर 215 के उत्तर दक्षिण दिशा में है तथा अपीलांट की भूमि सड़क के उत्तर दिशा में है इस प्रकार खसरा नम्बर 471 की भूमि खसरा नम्बर 397 में दर्ज हो गई रेस्पोडेंट की भूमि खसरा नम्बर 471 एवं अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 472 दक्षिण पश्चिम आम सड़क स्थित है अपीलांट अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 472 रकबा 0.66 हैक्टेयर भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलांट ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के निशानात मौके पर लगा रखे है विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर गोर किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पक्षकारान के मध्य विवाद सीमाज्ञान व नक्शा दुरूस्ती को लेकर है विचारण न्यायालय ने इसी तथ्य को ध्यान में रखकर मौके व रिकार्ड के यथास्थिति के आदेश दिये है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। खातेदारी का विभाजन होने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

तक पक्षकारों को रहनबय मुन्तकिल नही करने के लिए पाबंध किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 472 के खातेदार काश्तकार अपीलांट है एवं खसरा नम्बर 471 के खातेदार काश्तकार रेस्पोडेंट है दोनों खाते अलग–अलग है। सहखातेदारी की भूमि नही है अपीलांट ने खसरा नम्बर 472 का सीमाज्ञान करवाकर अपनी भूमि पर काबिज काश्त है विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन किये बिना केवल मात्र यह अंकित करते हुये कि पक्षकारान का विवाद सीमाज्ञान व नक्शा दुरूस्ती को लेकर है विचाराधीन अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर दी है। जिसका कोई दस्तावेजी या मौखिक आधार विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय की पत्रावली पर नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्व पाया जाता है फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर